

पत्र संख्या : ७ब/२७०१ गै०यो० ज० सं० ०१/२०१२..... १३६
 झारखण्ड सरकार
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
 प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव – सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
 जल संसाधन विभाग, रॉची ।

रॉची, दिनांक १७/०९/२०१२

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के मांग संख्या- ४९ जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-२७०१- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-०१-मुख्यालय सचिवालय स्थापना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष २७०१- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग / २७०१-मध्यम सिंचाई	८० सामान्य /००१-निदेशन तथा प्रशासन	०१-मुख्यालय सचिवालय स्थापना	०.०५

अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये पाँच हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ २५०.९३ लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक ११/बी० टी० ई०- ०४/२०१२/३१०/बजट दिनांक १७.०९.१२) से प्राप्त राशि ₹ ०.०५ लाख सहित कुल ₹ २५०.९८ लाख (दो करोड़ पचास लाख अंतानबे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

११.८६

(सुरेश प्रसाद भगत)
 सहा. अभि.

गु

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
 उप सचिव (अभि.)

सु

(सुबोध कुमार सिन्हा)
 संयुक्त सचिव (अभि.)

म

(बी. सी. निगम)
 विशेष सचिव

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त

लि

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

136

रॉची, दिनांक :- 17-10-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

लि

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

136

रॉची, दिनांक :- 17-10-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो०), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा० अभि०

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि०)

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाइ/उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय रथापना

वित्तीय वर्ष 2012-2013		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भर्ते										विस्तृत शीर्ष-02- यात्रा व्यय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शीर्ष-04- मंत्रसाधियां अन्य व्यय		(आवंटित राशि लाख रुपये में)	
क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन	योग	15.11.2000	एल0 टी0	देशीय यात्रा	कार्यालय	क्रियायाद	क्र	उपकरण	मर्शीनसी एवं सामग्री	दूरभाष	माटरसाधियां इंधन एवं प्रसामिक	विद्युत प्रभाव	कुल योग	अभियुक्त		
1	अवर सचिव - सह- निकासी एवं 1 व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रांची 1	49N270180001010101	001010110	80001010	001010213	00010103	00010103	001010323	00010103	1010442	001010760								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		पूर्व का आवंटन	150.54	83.14	233.68	0.00	0.50	3.00	5.00	0.75	1.00	1.00	1.50	3.50	1.00	250.93			
		अतिरिक्त आवंटन	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05		
		कुल आवंटन	150.54	83.14	233.68	0.05	0.50	3.00	5.00	0.75	1.00	1.00	1.50	3.50	1.00	250.98			

अतिरिक्त आवंटित राशि- रुपये पाँच हजार मात्र

(सुरेश प्रसाद भट्टाचार्य)

सहायक अधिकारी

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अमि.)

(सुदोकर कुमार सेन्हो)

संयुक्त सचिव (अमि.)

(हेमंत भट्टाचार्य)

विशेष सचिव

(हेमंत भट्टाचार्य)

प्रधान सचिव

परिशिष्ट I

पत्रांक 10.6. दिनांक 1.7.2012 का अनुलेखनक

(आवंटित राशि लाख रुपये में)